न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 284/2018
GCMS NO. : 2018/00265

–:: प्रार्थीगण ::–

1. कर्नल शक्तिसिंह पुत्र ठाकुर बहादुर सिंह जाति– राजपूत निवासी– ग्राम फूलमाल तहसील– जैतारण, पुलिस थाना जैतारण जिला पाली (राज0)

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. कानाराम पुत्र पुसाराम जाति– जाट,
2. ओमाराम पुत्र हफाराम जाति– भाम्बी (मेघवाल)
3. नारायण पुत्र हफाराम जाति– भाम्बी (मेघवाल)
   निवासीगण– ग्राम फुलमाल तहसील– जैतारण
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित आदेश 40 नियम 1 सीपीसी

तारीख रजू: 15/06/2018

उपस्थित:– 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, बच्चनाराम पन्नू, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक: 28/02/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 42–00 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 217/2 रकबा 03–18 बीघा भूमि स्थित है। उक्त खसरान की भूमि पर सायल रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। सायल के अलावा उक्त कृषि भूमि में गैरसायलान संख्या एक से तीन का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरान की चालू जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2073–2076 की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। दिनांक 24.03.2018 को गैरसायलान कानाराम सायल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर जे0सी0बी0 मशीन से नीवें खोदना शुरू किया, तब सायल ने गैरसायलान कानाराम वगैराह के पुलिस थाना जैतारण में मुकदमा दर्ज करवाया गया। सायल अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 217 एवं 217/2 की भूमि पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है मगर दिनांक 20.04.2018 को गैरसायलान संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने की नियत से पक्का निर्माण कार्य करने की एलानिया धमकी दी, जबकि गैरसायलान संख्या एक से तीन को सायल को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में अवैध अतिक्रमण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

स्ती/बलपूर्वक कच्चा पक्का निर्माण कार्य करनें का कोई कानूनी हक अधिकार है यदि गैरसायलान संख्या एक से तीन जबरदस्ती सायल की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर कच्चा/पक्का निर्माण कार्य किया गया तो सायल उन्हें ऐसा ज नहीं करनें देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद दिवानी/फौजदारी मुकदमें करनें , जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, का मूल्यांकन रूपयों/पैसो में नहीं आंका जा सकता है इसलिए सायल गैरसायलान या एक से तीन के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का कानूनी हक अधिकार इसलिए प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान संख्या एक से तीन है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त व दस्तावेज के धारर पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित हैं। उक्त खसरान भूमि में गैरसायलान का कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है तथा बरदस्ती/बलपूर्वक सायल की खातेदारी भूमि से अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य रने से अपूर्णीय क्षति सायल को होने की पूरी सम्भावना है तथा सायल अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के उपयोग उपभोग करनें से सुविधा ा सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है इसलिए गैरसायलान अवैध रूप से सायल की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर कच्चा-पक्का निर्माण कार्य को रूकवाने का सायल का पूरा हक अधिकार हैं इसलिए सायल गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है। गैरसायलान का सायल की कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं होने पर भी जबरदस्ती अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करनें पर आमादा हैं इसलिए उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 217/2 रकबा 03-18 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर रिसीवर के कब्जे में वाद के निर्णय तक दी जावें। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 42-00 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 217/2 रकबा 03-18 बीघा भूमि स्थित है। उक्त खसरान की भूमि पर सायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। सायल अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को उपयोग उपभोग काश्त करें, व इसके मुतालिक कुल कार्य करें या करावें, उसमें प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन एवं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट परिवारजन इत्यादि किसीप्रकार की बाधा दखलांदाजी रोकटोक, कच्चा पक्का निर्माण कार्य इत्यादि करनें से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अन्तिम निर्णय तक रोका जावें तथा खसरा नम्बर 217/2 भूमि रिसीवर मुकर्र कर रिसीवर के कब्जे में वाद के निर्णय तक ली जावें। अन्य कोई सहायता सायल प्राप्त करनें की अधिकारी हो तो दिलावायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये [illegible] वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो सामिल है। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सरहद मोजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के आराजी के खसरा नम्बर 217 में कुल कितने बीघा भूमि सायल

पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

को आई हुई है, जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मगर खसरा नम्बर 217/1 की भूमि आवासीय भूमि है । जिस पर सायल का ना तो कब्जा काश्त है और न ही उक्त भूमि सायल को खातेदार काश्तकार के रूप में राज्य सरकार ने दी है। खसरा संख्या 217/1 मे से 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत फुलमाल को आबादी विस्तार के लिये आबादी क्षेत्र घोषित कर आवासीय क०लोनी हेतु ग्राम पंचायत फुलमाल को सुपुर्द की जिसमें ग्राम पंचायत फुलमाल ने उक्त आबादी खसरा नम्बर 217/1 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा में आवासीय क०लोनी बनाकर विधिवत नक्शा बनाकर आवासीय क०लोनी काटी गयी। तत्पश्चात इस भूमि पर जवाब देहन्दा के पिता पुसाराम को पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.06.1985 को 41/- रूपये शुल्क जमा करते हुये जारी किया गया। इसी प्रकार पट्टा संख्या 01 दिनांक 05.12.1980 को प्रेमराज पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण को 1511/- रूपये प्रतिफल की राशि जमा करते हुये पट्टा विलेख जारी किया गया था। कालान्तर में प्रेमराज ने अपनी उक्त पट्टा सुदा जायदाद जवाब देहन्दा कानाराम के पिता पुसाराम को बैचान करते हुये मौके पर कब्जा भी पुसाराम को सौप दिया था। इस प्रकार से उक्त पट्टा संख्या 01 दिनांक 05.12.1980 व पट्टा संख्या 11 में वर्णित जायदाद पर जवाब देहन्दा का आवास रहवास वर्षो पूर्व से बना हुआ है तथा उक्त स्थल आवासीय भूखण्ड है जिससे सायल का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार से इस भूमि के सम्बन्ध में सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। साथ ही जवाब देहन्दा के इस कब्जा सुदा व हक सुदा व पट्टा सुदा जायदाद से सायल का कोई सम्बन्ध नही होने के बावजूद भी सायल ने इस जायदाद को खसरा नम्बर 217/2 का भाग होना बताते यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है व इससे सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड भी झूठा पेश किया गया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस के अलावा इस पद में वर्णित तथ्य कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर जवाब देहन्दा का रहवासी मकान बना हुआ है। जिसका पट्टा अभिलेख ग्राम पंचायत फुलमाल द्वारा जवाब देहन्दा के पिता पुसाराम जी के नाम से पट्टा संख्या 11 ज़ारी किया हुआ है साथ ही पट्टा संख्या उक्त दिनांक 05.12.1980 का प्रेमराज पुत्र मोतीलाल के नाम से पट्टा जारी हुआ था। इस पट्टा सुदा जायदाद को पट्टाधारक प्रेमराज से जवाब देहन्दा के पिता पुसाराम जी ने खरीद कर लिया था। तदुपरान्त जवाब देहन्दा के पिता पुसाराम जी ने वर्षो पूर्व से ही इस जायदाद पर अपना पक्का रहवास बना लिया है एवं इस जायदाद से सायल का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। गैरसायलान के स्वामित्व एवं कब्जे का आवासीय भूखण्ड पर गैरसायल संख्या 01 का बहैसियत मालिकाना कब्जा है। गैरसायल संख्या 01 के स्वामित्व का उक्त भूखण्ड ग्राम फुलमाल के आबादी खसरा नम्बर 217/1 में स्थित है। जिसको सायल झूठ मुठ में खसरा नम्बर 217/2 का भाग बताकर हड़पना चाहता है जिसका सायल को कोई हक़ अधिकार नहीं है। विवादित भूखण्ड आवासीय भुखण्ड है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार से गैरसायल संख्या 01 के विरूद्ध सायल की ओर से झूठे तथ्यों के आधार पर थाने में दर्ज करवायी गई रिपोर्ट भी बाद जांच मे झूठी पाई गई। इस प्रकार से सायल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जवाब देहन्दा के विरुद्ध कोई बिनाय वाद भी प्राप्त नहीं होता है एवं सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य व झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। गैरसायल संख्या 01 के अपने स्वामित्व व कब्जे का आवासीय भुखण्ड जो ग्राम पंचायत फुलमाल के आबादी खसरा संख्या 217/1 में आया हुआ है। जिस पर सायल के पिता स्वर्गीय पुसाराम जी ने करीब 35 वर्ष पूर्व निवास हेतु कच्चा मकान बनाया था। तत्पश्चात उसी स्थान पर कई वर्षो पूर्व जवाब देहन्दा व उसके पिता ने पक्का रहवास बनाया जो आज भी मौके पर कायम है। जिसके सम्बन्ध में सायल ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे कामाराय-19/21 तथ्यों का समावेश करते हुये दिनांक 10.06.2018 का उल्लेख करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके जरिये सायल किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का कोई हक अधिकार नहीं है गैरसायल संख्या 01 ने सायल के तथाकथित किसी खातेदारी काश्त की भूमि पर कब्जा नहीं किया है और ना ही करने का इरादा है। गैरसायल संख्या 01 खसरा नम्बर 217/2 का ना तो कोई खातेदार काश्त है ना ही कोई आराजी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस प्रकार से यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि 217/2 की भूमि पूर्व में राज्य सरकार की खालसा भूमि थी और आज भी खालसा भूमि है गैरसायल संख्या 01 ने दिनांक 10.06.2018 को या अन्य किसी दिन सायल के खसरान की भूमि पर ना तो अतिक्रमण किया है ना ही कोई धमकी दी है। जबकि सायल द्वारा अपने आप को ग्राम फुलमाल का राजशाही ठाकुर कहता है और देश की आजादी से पूर्व जिस प्रकार निर्दोष व असहाय ग्रामवासीयो पर अत्याचार व बलप्रयोग किया जाकर उनकी सम्पति को हड़प लिया जाता था. ऐसी ही विचारधारा इस फुलमाल ग्राम में व्याप्त करने के लिये एवं अपना रोब एवं रुतबा दिखाने के लिये जबरदस्ती कई ग्रामीणो के रहवासीय भूखण्डो को हड़पने का सायल प्रयास कर रहा है जिससे कई निर्बल असहाय गरीब व्यक्तियों का ग्राम फुलमाल में रहना दुस्सवार हो रहा है इसी अनुरूप गैरसायल संख्या 01 को भी बेवजह परेशान करने व बिना किसी वैधानिक अधिकार के गैरसायल संख्या 01 का उक्त रहवासी मकान एवं भूखण्ड हड़पने का सायल द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो कि गैरसायल संख्या 01 के कतई नामंजूर करता है तथा गैरसायल संख्या 01 को अपने इस कब्जा सुदा पट्टा सुदा आवास रहवास में एवं उपयोग उपभोग करने का पूर्णरूप से अधिकार प्राप्त है। जिसके बाबत सायल को कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ जवाब देहन्दा के इस आवास रहवास को लेकर न तो कोई वादबहुल्यता हो सुदा कानारायरही है न ही सायल को किसी भी प्रकार की क्षति होने का अंदेशा है उसके बावजूद भी सायल ने असत्य झूठे व निराधार तथ्यों का समावेश करते हुये यह प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन हेतु पेश किया है। जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। इसके अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रकार से पिछले 35 वर्षो से यानि जवाब देहन्दा अपने पिताजी के समय से इस विवादित स्थल पर काबिज चला आ रहा है तथा इस प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद में सायल का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अधिकार नहीं रहा था। न ही वर्तमान में है । इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है । यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा द्वारा विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि इस विवादित जायदाद पर जवाब देहन्दा का वर्षो पूर्व से कब्जा एवं हक अधिकार चला आ रहा है तथा उस जायदाद पर जवाब देहन्दा का आवास रहवास बने हुये है। इसलिये भी रिसीवर नियुक्त करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जाये उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है।

अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का वादग्रस्त भुखण्ड ग्राम फुलमाल के आबादी खसरा संख्या 217/1 में भुखण्ड संख्या 2 पर स्थित है जिसका पटट्ा ग्राम पंचायत फुलमाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वर्गीय पिताजी श्री हफाराम जी के पक्ष में दिनांक 09.02.1980 को पटट्ा संख्या 8 के रूप में जारी किया गया है इसलिए आबादी भुमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नही होता है इसलिए प्रार्थी का वर्तमान वाद श्रीमान के समक्ष अपोषणीय है जो काबिल खारिज के है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिताजी द्वारा लगभग 35 वर्ष कच्चे रहवासीय मकान का निर्माण उक्त भुखण्ड पर किया गया था जिसमें प्रार्थी के पिताजी के द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्रीयों के शादी विवाह व अनेक सामाजिक रस्में इसी रहवासीय मकान में सम्पन्न किये है तथा हफाराम जी के देहान्त वर्ष 2009 में उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा सामाजिक कार्यो को सम्पन्न किया गया तथा हफाराम के पौत्र व पौत्रीयों का विवाह व सामाजिक कार्यक्रम भी इसी रहवासीय मकान में सम्पन्न किये गये है जिससे यह साबित ओमप्रकाशहै। अप्रार्थी संख्या 23 का परिवार लगभग 38 वर्षो से इसी भूखण्ड पर काबिज 09.02.1980 के दौरान ग्राम पंचायत फुलमाल के अप्राथी संख्या 2 व 3 के पिताजी पट्टा जारी किया गया है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सम्बन्ध में मतियत है जिस पर भी वर्तमान बाद श्रीमान के समक्ष काबिल खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सरहद मौजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली के आराजी के खसरा नम्बर 217 में से ... बीघा भुमि प्रार्थी के आयी हुई है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। खसरा नम्बर 217/1 के 3 बीघा 13 बिस्वा आवासीय भुमि पर प्रार्थी का ना तो कब्जा काश्त है और ना ही प्रार्थी को खातेदारी राज्य सरकार ने दी है। खसरा संख्या 217/1 मे से 3 बीघा 13 बिस्वा भुमि ग्राम पंचायत फुलमाल को आबादी विस्तार के लिए आबादी क्षेत्र घोषित कर आवासीय कॉलोनी हेतु ग्राम पंचायत फुलमाल को सुपूर्द की जिसमे ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला-पाली

फुलमाल ने उक्त आवादी खसरा नम्बर 217/1 रकवा 3 बीघा 13 बिस्वा मे आवासीय कॉलोनी बनाकर विधिवत नक्शा बनाकर आवासीय कॉलोनी काटी गयी जिसके मुखण्डो का निलामी/इस्तियार दिनांक 23.12.1979 को नोटिस जारी कर मौके पर आवासीय भुखण्ड का विक्रय प्रस्तावित किया गया जिस पर अप्रार्थीया संख्या 2 व 3 के स्वर्गीय पिताजी हफाराम जी ने उक्त निलामी में ग्राम पंचायत फुलमाल से आबादी खसरा नम्बर 217/1 में स्थित प्लॉट संख्या 2 को बऐवज विक्रय विलेख निलामी में उच्ची बोली होने के कारण दिनांक 26.01.1980 को खरीद किया जिसका पट्दा अभिलेख ग्राम पंचायत फुलमाल द्वारा दिनांक 09.02.1980 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिताजी हफाराम जी को जारी किया गया है एवं हफाराम जी का देहान्त वर्ष 2009 में हो जाने के कारण हफाराम जी का उक्त भुखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को वारिसान पुत्र होने के कारण पुत्र अधिकार में प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे का आवासीय मुखण्ड पर अप्रार्थीया संख्या 2 व 3 का बहतियत मालिकाना कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वामित्व का उक्त भुखण्ड ग्राम फुलमाल के आबादी खसरा नम्बर 217/1 में स्थित है जिसको प्रार्थी झूठ-मुठ खसरा नम्बर 217/2 का भाग बताते हुए हडफ करना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है विवादित भुखण्ड आवासीय भुखण्ड है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अप्रार्थी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया बाद प्रकट नहीं है इस पद में वर्णित शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 व 3 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने स्वामित्व का आवासीय भुखण्ड जो ग्राम पंचायत फुलमाल के आबादी खसरा संख्या 217/1 में भुखण्ड संख्या 2 आया हुआ है पर उत्तर दिशा में प्रार्थी के पिताजी स्वर्गीय श्री हफाराम जी द्वारा करीबन 35 वर्ष पूर्व निवास हेतु कच्ची रेस की ईटो का मकान बना हुआ है जो आज भी मौके पर कायम है जिसकी उत्तर दिशा की दीवार घिर जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सीमेन्ट के इंटे लगाकर पक्की दीवार बना रहा है जिसका प्रार्थी को रोकने का कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के तथा कथित किसी खातेदारी काश्त की भुमि पर कब्जा नहीं किया है और ना ही करने का इरादा है इस पद में वर्णित एफआईआर की कोई जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नही है अगर ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करायी है तो झुठी व निराधार है अप्रार्थी खसरा संख्या 217/2 का ना तो कोई खातेदार कार अराजी का ना उपयोग व ना उपयोग करता आ रहा है यहा यह उल्लेखनीय है कि 217/2 की मुगि पूर्व में राज्य सरकार की खालसा भुमि थी और आज भी खालसा भुमि है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दिनांक 10.06.2018 या अन्य किसी दिन प्रार्थी के खसरान की भूमि पर ना तो अतिक्रमण किया है ना ही कोई धमकी दी है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने आप को ग्राम फुलमाल का मालिक समझता है और देश की आजादी से पूर्व जिस प्रकार निर्दोष व असहाय ग्रामवासी पर अत्याचार व बलप्रयोग किया जाकर उनकी सम्पत्ति को हड़प लिया जाता था ऐसी ही विचारधारा इस ग्राम में व्याप्त करने के लिए एवं अपना रोव एवं रुतब्बा दिखाने के लिए जब्बरदस्ती कई ग्रामीणों के आवासीय भूखण्डो को हड़पने का प्रयास कर रहा है जिससे कई निर्बल असहाय गरीब व्यक्तियों का ग्राम फुलमाल में रहना दुरसवार हो रहा है मात्र और मात्र अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2023.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

संख्या 2 व 3 को बेवजह परेशान करने व बिना किसी वैधानिक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का उक्त भुखण्ड हड़पने का प्रयास किया जा रहा है जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के असहनीय है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जो भी पक्का निर्माण किया है वो निर्माण अप्रार्थी संख्या 2 ने आबादी खसरा नम्बर 217/1 में स्थित अपने पिताजी के पट्दासुदा भुखण्ड पर किया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पूर्ण अधिकार है जिसको रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी के साथ ना कोई झगड़ा किया है और ना ही झगड़े का इरादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मात्र और मात्र अपने पिताजी के नाम भुखण्ड संख्या 2 व पट्दा संख्या 8 दिनांक 09.02.1980 जो कि ग्राम पंचायत फुलमाल द्वारा जारी किया है पर अब अपने रहवास हेतु पक्के मकान का निर्माण करना चाहता है। वादगरस्त भुखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के स्वामित्व का है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भुखण्ड के वास्तविक स्वामि है के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती है इसलिए प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में ना तो असुविधा होगी ना ही अपूर्णिय क्षति होगी और ना ही प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है। इस पद में वर्णित शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते है:-

*1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** :-* प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम फुलमाल में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 217 रकबा 42 बीघा व खसरा संख्या 217/2 रकबा 3-18 बीघा का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में बलपूर्वक अवैध अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू है। दिनांक 24.03.2018 को अप्रार्थीगण कानाराम द्वारा जेसीबी मशीन से नींव खोदना शुरू करने पर पुलिस थाना जैतारण में कानाराम के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

अप्रार्थीसंख्या 1 कानाराम द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो को खण्डन किया तथा यह उल्लेख किया कि खसरा संख्या 217/1 की भूमि आवासीय भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त नही है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत फुलमाल को आबादी विस्तार के लिए सुपुर्द की जिसमें ग्राम पंचायत फुलमाल ने आवासीय कॉलोनी बनाकर पट्टे जारी किए गए जिसमे पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.06.1985 अप्रार्थी के पिता पुसाराम के नाम जारी किया गया। पट्टा संख्या 1 दिनांक 05.12.1980 को प्रेमराज ... को जारी किया गया। जिसे अप्रार्थी के पिता पुसाराम द्वारा क्रय किया ... प्रार्थी का मकान 35 वर्षो से इसी भूमि में बना हुआ है। जहां अप्रार्थी निवास करते है। प्रार्थी गलत तरीके से खसरा संख्या 217/1 में स्थित अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड को खसरा संख्या 217/2 का भाग बताते हुए हड़पना चाहता है। अतः एडवस पजेशन से भी अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उक्त भूमि का मालिक हो चूका है। अतः प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि अप्रार्थी सख्या 2 व 3 का भूखण्ड ग्राम फुलमाल के आबादी खसरा संख्या 217/1 में भूखण्ड संख्या 2 पर स्थित है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत फुलमाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता हफाराम के नाम पट्टा संख्या 8 दिनांक 09.02.1980 के रूप में जारी किया गया। जिस पर पिछले 35 वर्ष से अप्रार्थीगण निवासरत् है। अतः अप्रार्थी न तो वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है न ही अतिक्रमण की कोई नियत रखते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 217 व 217/2 के किसी भूभाग पर काबिज नही है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत भू अभिलेख जमाबन्दी ग्राम फुलमाल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार खसरा संख्या 217 रकबा 42 बीघा किस्म चाही चारम व खसरा संख्या 217/2 रकबा 3-18 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी शक्ति सिंह पुत्र बहादूर सिंह के नाम दर्ज है। तथा बैक के नाम रहन दर्ज है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। जिस पर प्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण भी लिया हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में है। अप्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनका रहवासी मकान भूखण्ड खसरा संख्या 217/1 की आबादी भूमि में है। न कि खसरा संख्या 217/2 की भूमि में है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कथनो का कोई खण्डन नही किया गया है न ही इसके विरूद्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। अतः खसरा संख्या 217 व 217/2 की भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है परन्तु खसरा संख्या 217/1 के संबंध में यह प्रभावहीन होगा।

2. सुविधा का संतुलन :- पूर्व विवेचित बिन्दू संख्या 1 के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है तथा साथ ही प्रार्थी खसरा संख्या 217 व 217/2 की आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा बैंक से रहन भी ले रखा है इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि प्रार्थी खसरा संख्या 217 व 217/2 का अभिलिखित खातेदार है साथ ही सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है अतः यदि प्रार्थी के पक्ष में वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी खातेदार होने के कारण प्रार्थी को ही होना संभावित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी खातेदार द्वारा उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा किसी प्रकार का नवीन निर्माण आदि करने से रोकने के लिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा आदेश 40 नियम 1 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम– फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 217 रकबा 42–00 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा संख्या 217/2 रकबा 3–18 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बेजाह दखलन्दाजी न करे तथा न ही उक्त आराजी में किसी प्रकार का नवीन निर्माण आदि करे, यह निषेधाज्ञा खसरा संख्या 217/1 की भूमि के संबंध में लागू नही होगी। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनाँक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:44 IST
Reason: SelfAttested